सेवा में,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
मुख्य शाखा नई दिल्ली।

महोदय,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मुख्य शाखा, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0/मूल प्रार्थना पत्र सं0 275 सन 2021 श्री रघुवीर सिंह आदि बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड आदि में प्रतिपक्षी संख्या 5 की ओर से प्रकरण का संक्षिप्त–सार एवं प्रस्तरवार विभागीय नैरेटिव निम्नवत् हैः–

–:संक्षिप्त–सारः–

1– यह कि प्रकरण मथुरा जनपद के नन्दगॉव रोड़ कोसीकलॉ उद्योग क्षेत्रान्तर्गत स्थित "मैसर्स जी0बी0ए0 स्टील एण्ड मैटल्स प्रा0लि0 कोसीकलॉ" मथुरा के संचालन को रोकने तथा क्षतिपूर्ति हेतु की गई प्रार्थना से सम्बन्धित है।

2– यह कि याचीगण का कथन है कि याची सं0 3 श्री नत्थीलाल के द्वारा उपजिलाधिकारी छाता को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 9–2–2016 एवं जिलाधिकारी मथुरा को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 16–12–2015 इस आशय से प्रस्तुत किये गये हैं कि– जी0बी0ए0 स्टील एण्ड मैटल्स प्रा0लि0 की दीवाल प्रार्थी सं0 3 नत्थी की कृषि भूमि से लगी हुई है, जिसमें असंवैधानिक रुप से भटिटयों का संचालन हो रहा है इस संचालन से निकलने वाले धुऐं से कृषि फसल पिछले कई वर्षो से प्रभावित हो रही है जिससे प्रार्थी को आर्थिक नुकसान हो रहा है वायु प्रदूषण के कारण प्रार्थी के परिवार के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड रहा है। कार्बन जमा हुआ चारा खाने से प्रार्थी के कई कीमती पशु मर चुके हैं। प्रार्थी फर्म संचालक से अनेक बार वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगवाकर प्रदूषण समाप्त करने का अनुरोध किया जा चुका है लेकिन कोई सुनवाई नही की गयी है अतः फैक्टरी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते हुये, समस्या का स्थाई समाधान सुनिश्चित किया जाय।

3– यह कि याचीगण का कथन है कि याची सं0 01 रघुवीर सिंह के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को सम्बोधित ऑन लाइन शिकायत सं0 40014520002345 इस आशय से प्रेषित किया कि जी0बी0ए0 मैटल्स स्टील एण्ड मैटल्स प्रा0लि0 नन्दगॉव रोड कोसीकलॉ द्वारा रात दिन पुराना लोहा गलाया जाता है जिससे गॉव बरहाना व आस पास बेहद बदबू व धुऑ रहता है सांस लेने में तकलीफ होती है ऑखों में जलन होती है अतः टीम भेजकर जॉच कराते हुये, कार्यवाही की जाये कम्पनी में चिमनी नहीं है पोलूशन विभाग की मिलीभगत है अतः कम्पनी तथा अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

4– यह कि याचीगण का कथन है कि याची सं0 02 कृपाल सिंह प्रधान ग्राम पंचायत बरहाना द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 21–1–2020 क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश मथुरा को इस आशय से प्रस्तुत किया कि जी0बी0ए0 स्टील एण्ड मैटल्स प्रा0लि0 रात को पुराने लोहे व टायर के तार को जलाते हैं जिससे ग्राम बरहाना व हरीपुरा में रात को धुऑ व छत्तो पर कालिख गिरनी शुरू हो जाती है सांस लेने में दिक्कत होती है कम्पनी ने गंदे पानी को जमीन के अंदर डालते हैं जिससे आस पास के पीने वाले बोरिंग दूषित हो गये हैं अतः इनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

5– यह कि उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि याचीगण की कोई शिकायत पुलिस विभाग से नहीं है बल्कि प्रश्नगत शिकायतें याचीगण के द्वारा उपजिलाधिकारी छाता, जिलाधिकारी मथुरा एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा को सम्बोधित प्रस्तुत की गयीं हैं जिस तौर पर स्पष्ट है कि याचीगण के द्वारा इस मूल प्रार्थना पत्र में उत्तरदेय प्रतिपक्षी को गलत तौर पर पक्षकार कायम किया गया है।

6– यह कि उत्तरदेय प्रतिपक्षी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष कोसीकलॉ के द्वारा ऐसे प्रकरणों में माननीय न्यायालय, पुलिस एवं प्रशासनिक उच्चाधिकारियों के आदेशों का अनुपालन कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए किया जाता है जिसके लिए उत्तरदेय प्रतिपक्षी हमेशा तैयार तत्पर रहते हैं ।

7– यह कि उत्तरदेय प्रतिपक्षी द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा कार्यालय से सम्पर्क स्थापित किया तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 नं0 275/2021 में पारित आदेश दिनांक 9–11–2021 के अनुपालन में जिलाधिकारी मथुरा द्वारा नामित प्रतिनिधि उपजिलाधिकारी छाता एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा द्वारा दिनांक 28–12–2021 को संयुक्त निरीक्षण किया गया है । निरीक्षण के दौरान पाया कि प्रश्नगत उद्योग में उत्पादन कार्य बंद है तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के उच्चीकरण के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा आपूर्ति आदेश किये जा चुके हैं किन्तु उद्योग परिसर में कोई कार्य होता नहीं पाया गया। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा द्वारा नोटिस/पत्र दिनांक 6–1–2022 के तहत प्रश्नगत उद्योग को जारी सहमति(वायु) रिवोक करते हुये प्रश्नगत उद्योग को हिदायत दी गई है कि प्रस्तावित उच्चीकरण सम्बन्धी कार्य पूर्ण करने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन किये जाने पर तथा सहमति(वायु) प्राप्त होने के पश्चात् ही उद्योग संचालन किया जाये।

8– यह कि उपरोक्तानुसार प्रश्नगत उद्योग बंद है और प्रस्तावित उच्चीकरण सम्बन्धी कार्य पूर्ण करने के पश्चात् प्रश्नगत उद्योग द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने पर तथा सहमति(वायु) प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रश्नगत उद्योग का संचालन हो पावेगा।

9– यह कि याचीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त याचिका में प्रस्तरवार विभागीय नैरेटिव निम्नवत् हैः–

प्रस्तवार विभागीय नैरेटिव

अत्यन्त सम्मानपूर्वक निवेदन :–

1– यह कि मूल प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 व 2 में याचीगण के द्वारा मूल प्रार्थना पत्र के उनवान में अपना पता दिया है तथा प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कथन किया गया है अतः कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

2– यह कि मूल प्रार्थना पत्र की मद संख्या–3 में याचीगण के द्वारा इस मूल प्रार्थनापत्र को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 14, 15 व 17. सपठित धारा 18(1) के अन्तर्गता पर्यावरण की सुरक्षा और प्रतिबंध के लिए माननीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना कहा है, माननीय अधिकरण से सम्बन्धित होने के कारण कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है।

3– यह कि मूल प्रार्थना पत्र की मद संख्या– 4 में याचीगण के द्वारा स्वयं को प्रतिवादी की कार्यवाही व निष्क्रियता जाहिर करते हुये पीड़ित होना तथा एक दूसरे के पड़ौसी होना कहा गया है याचीगण स्वयं उचित साक्ष्य से साबित करे।

प्रकरण के तथ्य :–

1– यह कि मूल प्रार्थना पत्र की मद संख्या –1 व 2 में प्रश्नगत फैक्टरी का खसरा नं0 609 मौजा बरहाना कोसीकलॉ मथुरा स्थित होना विवादित नहीं है शेष कथन जिस तरह दर्ज हैं असत्य व अस्वीकार हैं। यह कथन गलत है कि यह आवासीय क्षेत्र हो और वहॉ 03 स्कूल हों तथा प्रश्नगत कारखाना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निदेशालय की बिना सहमति/लाइसेंस के चल रहा हो। **बल्कि** प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 28–12–2021 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित प्रतिनिधि उपजिलाधिकारी छाता तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा द्वारा संयुक्त रुप से निरीक्षण किया गया है निरीक्षण के दौरान उद्योग में उत्पादन कार्य बंद पाया गया है **तथा** उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा द्वारा जारी पत्र. दिनांक 6–1–2022 के तहत प्रश्नगत उद्योग को नोटिस प्रेषित करते हुये हिदायत दी गयी है कि चूँकि उद्योग को जारी सहमति(वायु) रिवोक की जा चुकी है अतः उद्योग द्वारा प्रस्तावित उच्चीकरण सम्बन्धी कार्य पूर्ण करने के पश्चात् इस हेतु ऑन लाइन आवेदन किये जाने के पश्चात् ही नियमानुसार सहमति(वायु) प्राप्त होने पर ही उद्योग संचालन किया जाय। **निरीक्षण आख्या दिनांक 28–12–2021 तथा नोटिस दिनांक 6–1–2022 व की छायाप्रति संलग्नक–01 व 02 है।**

2– यह कि मूल प्रार्थना पत्र की मद संख्या–3 में प्रतिवादी संख्या 06 को कारखाने से सम्बन्धित होना विवादित नहीं है। शेष कथन जिस तरह दर्ज हैं सही नहीं है। यह कथन गलत है कि तथाकथित तौर पर कम्पनी के द्वारा गडडा खोदा गया हो जिससे गॉव का पानी प्रदूषित हो रहा हो तथा काला धुऑ और अपशिष्ट जल से ग्रामवासियों को परेशानी हो रही हो **बल्कि** उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि निरीक्षण दिनांक 28–12–2021 में प्रश्नगत कारखाना बंद पाया गया है तथा उसे नोटिस दिनांक 6–1–2022 निर्गत करते हुये स्पष्ट किया गया है कि चूँकि उद्योग को जारी सहमति(वायु) रिवोक की जा चुकी है अतः उद्योग द्वारा प्रस्तावित उच्चीकरण सम्बन्धी कार्य पूर्ण करने के पश्चात् इस हेतु ऑन लाइन आवेदन किये जाने के पश्चात् ही नियमानुसार सहमति(वायु) प्राप्त होने पर ही उद्योग संचालन किया जाय।

3– यह कि मूल प्रार्थना पत्र की मद संख्या–4, 5 व 6 में उल्लिखित संलग्नक–ए2, ए3 व ए4 अभिलेख से सम्बन्धित होने के कारण कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। लेकिन यहॉ यह स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत शिकायतें पुलिस विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं। अतः सम्बन्धित के द्वारा उचित व प्रभावी जबाबदेही की जायेगी।

4– यह कि मूल प्रार्थना पत्र की मद संख्या–7 व 8 में उल्लिखित संलग्नक–ए5, ए6 क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा तथा प्रतिवादी संख्या 06 जी0बी0ए0 स्टील्स एण्ड मैटल्स प्रा0लि0 तथा शिकायतकर्ता याची से सम्बन्धित होने के कारण कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है पत्र दिनांक 18–2–2020 तथा दिनांक 15–3–2021 पुलिस विभाग से सम्बन्धित नहीं है। अतः सम्बन्धित विभाग के स्तर से उचित व प्रभावी जबाबदेही की जायेगी।

5– यह कि मूल प्रार्थना पत्र की मद संख्या–9 में उल्लिखित संलग्नक–ए7 याची सं0 2 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा को शिकायत किया जाना अभिलेख से सम्बन्धित होने के कारण कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। अतः सम्बन्धित विभाग के स्तर से उचित व प्रभावी जबाबदेही की जायेगी।

6– यह कि मूल प्रार्थना पत्र की मद संख्या–10 में उल्लिखित संलग्नक–ए8 हिन्दुस्तान समाचार पत्र दिनांक 22–9–2021 में प्रकाशित समाचार अभिलेख से सम्बन्धित है अतः अभिलेख के सापेक्ष कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं हैं। अतः सम्बन्धित विभाग के स्तर से उचित व प्रभावी जबाबदेही की जायेगी।

7– यह कि मूल प्रार्थना पत्र की मद संख्या– 11 में विपक्षी संख्या 03 द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 21–9–2021 के आधार पर विपक्षी संख्या 06 को पत्र दिनांक 23–9–2021 के तहत हिदायत देना अभिलेख से सम्बन्धित होने के कारण कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। लेकिन इस मद के कथन भी उत्तरदेय प्रतिपक्षी से सम्बन्धित नहीं है। अतः सम्बन्धित विभाग के स्तर से उचित व प्रभावी जबाबदेही की जायेगी।

8– यह कि मूल प्रार्थना पत्र की मद संख्या–12 में उल्लिखित संलग्नक–ए10 क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मथुरा द्वारा विपक्षी संख्या 06 जी0बी0ए0स्टील को नोटिस/पत्र दिनांक 1–10–2021 निर्गत किया जाना अभिलेख से सम्बन्धित होने के कारण कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। लेकिन इस मद के कथन भी उत्तरदेय प्रतिपक्षी से सम्बन्धित नहीं है। अतः सम्बन्धित विभाग के स्तर से उचित व प्रभावी जबाबदेही की जायेगी।

<u>आधारः–</u>

1– यह कि याचिका में लिये गये आधार–**ए** लगायत **ई** में याचीगण द्वारा की गई शिकायतों पर प्रतिपक्षी सं0 06 के कारखाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही नहीं होने तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 की निष्क्रियता से व्यथित होना कहते हुये कहा गया है कि मजबूरन माननीय अधिकरण के समक्ष यह याचिका योजित की गयी है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि याचीगण द्वारा की गई शिकायतें पुलिस विभाग से सम्बन्धित नहीं हैं। अतः सम्बन्धित विभाग के स्तर से उचित व प्रभावी जबाबदेही की जायेगी।

<u>परिसीमा/म्याद :–</u>

यह कि इस मद में याची के द्वारा एन0जी0टी0 अधिनियम की धारा –14(3) के अन्तर्गत याचिका को समय सीमा के अन्तर्गत प्रस्तुत होना कहा है इस मद के कथन भी माननीय हरित न्यायाधिकरण से सम्बन्धित होने के कारण कोई टिप्पणी अपेक्षित नही है।

सुविधा:—

यह कि याचीगण द्वारा इस याचिका के माध्यम से प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 5 को प्रतिवादी संख्या 06 के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही हेतु निर्देश देने तथा प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा रिहायशी इलाके में कारखाने को चलाये जाने के कारण पर्यावरणीय क्षति का भुगतान करने के निर्देश देने हेतु माननीय अधिकरण से अनुरोध किया गया है। उत्तरदेय प्रतिपक्षी से प्रकरण सम्बन्धित नही होने के कारण स्वीकार नहीं है।

विशेष कथन

1— यह कि याची को कोई कारण उक्त याचिका को उत्तरदेय प्रतिपक्षी के विरूद्ध दायर करने का उत्पन्न नही हुआ अतः याची कोई सुविधा पाने का अधिकारी नही है।

2— यहकि उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि याचीगण के द्वारा कोई प्रार्थनापत्र पुलिस विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये हैं और यह प्रकरण पुलिस विभाग से सम्बन्धित भी नहीं है उत्तरदेय प्रतिपक्षी को इस याचिका में बिना किसी उचित कारण के पक्षकार कायम किया गया है। अतः उत्तरदेय प्रतिपक्षी के मुकाबले याचिका निरस्त होने योग्य है।

रैस्पोण्डेन्ट सं0 05

(संजय कुमार त्यागी)
प्रभारी निरीक्षक,
थाना—कोसीकलॉ,
मथुरा।

संलग्नक – 01

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0– 276/2021 रघुवीर सिंह एवं अन्य बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.11.2021 के अनुक्रम में मै0 जी0बी0ए0 स्टील्स प्रा0लि0, खसरा सं0–609, ग्राम–बरहना, नन्द गांव रोड, कोसी कला, तहसील छाता जनपद मथुरा की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित विषय सम्बन्ध में उद्योग का निरीक्षण जिलाधिकारी महोदय, मथुरा द्वारा नामित अधिकारी (उप जिलाधिकारी, छाता) एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 28.12.2021 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग में उत्पादन कार्य बन्द पाया गया तथा उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री मनोज कुमार (प्रबन्धक) एवं श्री विजय शर्मा (लेखाकार) उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में टायर पाइरोलिसिस यूनिटों से निकलने वाले बीडिंग वायर स्क्रैप्स, एम0एस0 स्क्रैप्स, स्पंज आयरन, फैरोमैगजीन व फेरो सिलिकान इत्यादि का प्रयोग करके एम0एस0 इंगाट्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग नवम्बर–2012 से उत्पादनरत है।
2. उद्योग में एम0एस0 इंगाट्स के उत्पादनार्थ 6.0 मीट्रिक टन प्रति हीटिंग क्षमता के दो क्रूसिवल स्थापित हैं, जिनमें से एक समय मे केवल एक ही क्रुसिवल कार्यरत रहता है। दूसरा क्रुसिवल स्टैण्ड बाई के रूप में कार्यरत है। उद्योग में दोनों क्रुसिवलों को संचालित करने के लिए एक इलैक्ट्रिक पैनल स्थापित है।
3. उद्योग में जल का प्रयोग औद्योगिक कुलिंग, वेस्ट बीडिंग वायर की धुलाई एवं घरेलू प्रयोजनार्थ किया जाता है। औद्योगिक कुलिंग से जनित उत्प्रवाह को कुलिंग टावर के माध्यम से ठण्डा करके शत–प्रतिशत कुलिंग प्रक्रिया में रिसाईकिल कर लिया जाता है तथा वेस्ट बीडिंग वायर की धुलाई से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उद्योग परिसर में ई0टी0पी0 स्थापित है। ई0टी0पी0 से शुद्धिकृत उत्प्रवाह का शत–प्रतिशत प्रयोग पुनः वेस्ट बीडिंग वायर की धुलाई में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह को सैप्टिक टैंक के माध्यम से सोकपिट में निस्तारित किया जाता है।
4. उद्योग द्वारा भूमिगत जल का प्रयोग किया जाता है, भूमिगत जल का टी0डी0एस0 हाई होने के कारण उद्योग परिसर में एक आर0ओ0 प्लान्ट स्थापित है जिसका परमिएट वाटर औद्योगिक/घरेलू प्रयोजनार्थ प्रयुक्त कर लिया जाता है, जबकि रिजेक्ट वाटर को उद्योग परिसर के अन्दर स्थित एक कच्चे टैंक में एकत्र होता है, जिसका आंशिक भाग परिसर में छिडकाव के रूप में प्रयुक्त होता है, जबकि शेष भाग सूख जाता है। इस प्रकार उद्योग द्वारा परिसर के बाहर किसी भी प्रकार का कोई उत्प्रवाह निस्तारित नहीं होता है।
5. उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जनित होने वाले प्रक्रिया उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में एक संयुक्त हुड के साथ वेट स्क्रबिंग सिस्टम स्थापित है, जिन्हें जमीन से लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी से सम्बद्ध किया गया है।
6. उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का उच्चीकरण करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा अपने पत्र सं0–664/जी–100/2021 दिनांक 13.10.2021 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसके अनुक्रम में उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.11.2021 के माध्यम से प्रस्ताव एवं निर्माता संस्था मैसर्स इनहन्स इनवायरो टेक साल्यूसन, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को रू0–4.0 लाख का भुगतान देकर आर्डर प्रेषित किया जा चुका है, जिसकी प्रति निरीक्षण के दोरान उपलब्ध करायी गयी (प्रति संलग्न)।
7. उद्योग को इस कार्यालय द्वारा जारी सशर्त सहमति (जल/वायु) जो कि दिनांक 31.07.2022 तक वैध थी, में निहित शर्तों का अनुपालन न करने कारण उद्योग की सहमति (वायु) क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के पत्र संख्या–705/जी–100/2021 दिनांक 21.10.2021 द्वारा रिवोक की जा चुकी है, निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि को बोर्ड सहमति के बगैर किसी भी दशा में उद्योग संचालन न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत हैं।

06/01/2022

(डी0के0 गुप्ता)
सहा0पर्या0 अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मथुरा।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मथुरा।

(कमलेश कुमार)
उप जिलाधिकारी,
तहसील–छाता
मथुरा।

जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।

14/1/2022

टिप्पणी एवं आदेश

जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–275/2021 रघुवर सिंह बनाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 09.11.2021 (प्रति बांयी ओर संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन हेतु मै0 जी0बी0ए0 स्टील एण्ड मैटल्स प्रा0लि0, खसरा सं0–609, नन्दगांव रोड, कोसी कलां, मथुरा का निरीक्षण किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध करना है कि उप जिलाधिकारी, छाता, मथुरा को नामित करने का कष्ट करें, जिससे उक्त उद्योग का संयुक्त निरीक्षण कर आख्या मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में प्रेषित की जा सके।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

यथा प्रस्तावित SDM छाता नामित।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी छाता के साथ संयुक्त निरीक्षण दिनांक 28.12.2021 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या एवम् निरीक्षण के दौरान उद्योग परिसर के अन्दर के दृश्यो का फोटोग्राफ आपके अवलोकनार्थ एवम् अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

अवलोकित। नियमानुसार

अ. नि.

संलग्नक-02

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड
मथुरा

दिनांक 06/01/22

पत्रांक 929/G-100/2022

सेवा में,
मैसर्स जी0बी0एस0 स्टील एण्ड मेटल्स प्रा0लि0,
खसरा सं0–609, नन्दगांव रोड, कोसी कलाँ,
तहसील–छाता, जनपद–मथुरा (उ0प्र0)

विषयः **वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति (वायु) प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन न किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषय के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0–705/जी–100/2021 दिनांक 21.10.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न), जिसके माध्यम से आपकी सहमति (वायु) इस कार्यालय के पत्र सं0– 70235/UPPCB/Mathura(UPPCBRO)/CTO/Air/MATHURA/2019 दिनांक 04.11.2019 में निहित शर्तों का अनुपालन न किये जाने के कारण सहमति (वायु) मैन्युवली रिवोक कर दी गयी है तथा यह निर्देशित किया गया था कि बिना बोर्ड सहमति (वायु) के उद्योग का संचालन अर्थात किसी भी प्रकार का गैसीय उत्सर्जन न किया जाये। उद्योग का निरीक्षण उप जिलाधिकारी, छाता व इस कार्यालय की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 28.12.2021 को किया गया था निरीक्षण के दौरान उद्योग बन्द पाया गया था तथा पुनः निर्देशित किया गया था कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथा संशोधित) की धारा–21 के अन्तर्गत सहमति (वायु) प्राप्त किये बिना उद्योग का संचालन न किया जाये।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रस्तावानुसार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का उच्चीकरण करते हुए वॉछित सूचनाओं के साथ सहमति (वायु) हेतु आन लाइन आवेदन करके सहमति (वायु) प्राप्त करके ही उद्योग का संचालन किया जाये, अन्यथा की स्थिति में उद्योग के ऊपर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग के स्वयं का होगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

सलग्नकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा।
2. उप जिलाधिकारी, छाता, मथुरा।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी